षोडश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-06 मंगलवार, दिनांक- 08 दिसम्बर, 2015 ई० ।

मानीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.36 बजे अप० तक ।

[1] शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान :-

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शपथ ग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा शेष बचे 03 (तीन) माननीय सदस्यों में से 01 (एक) माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ने शपथ ग्रहण किया ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 10 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्प सूचित प्रश्न अनागत ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री तार किशोर प्रसाद
(ii) श्री अशोक कुमार सिंह
(iii) श्री विनय बिहारी
(iv) श्री राणा रंधीर
(v) श्रीमती भागीरथी देवी
(vi) श्री विजय कुमार सिन्हा
(vii) श्री मिथिलेश तिवारी
(viii) श्री विजय कुमार खेमका
(ix) श्री महबूब आलम
(x) श्री सुदामा प्रसाद
(xi) श्री रामप्रीत पासवान
(xii) श्री (डा०) अशोक कुमार

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं अन्य सभासदों से प्राप्त नगर विकास एवं आवास तथा भवन निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री रामदेव राय से प्राप्त पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा उत्तर दिया गया ।

[5] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री वित्त, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा बिहार सरकार का वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा था, की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखा गया तथा प्रस्ताव किया गया कि यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो पर सदन की स्वीकृति हुई ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त) श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रुझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

[6] <u>याचिकाओं का उपस्थापन</u> :-

प्रभारी सचिव द्वारा कुल 01 याचिका को सदन में उपस्थापित किया गया ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

2.00 बजे अप० से 5.31 बजे अप० तक ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[7] <u>महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को हुए वाद-विवाद पर सरकार का उत्तर</u> :-

सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

(उत्तर के दौरान भाजपा के मा० सदस्यगण विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन कर गए)

धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन को पढ़ा हुआ माना गया तथा सदन द्वारा यह अस्वीकृत हुआ और धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[8] <u>वित्तीय कार्य</u> :-

(वित्तीय कार्य प्रारंभ होते ही भाजपा के माननीय सदस्यगण वापस सदन में आ गए ।)

<u>वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँग (उर्जा विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री उर्जा विभाग श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा अनुदान की माँग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

(इस अवसर पर अध्यासी सदस्य श्री इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

तदुपरांत उर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की माँग एवं कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री समीर महासेठ
(ii) श्री विनोद प्रसाद यादव
(iii) श्री नितीन नवीन
(iv) श्री डा० मु० जावेद
(v) श्री यदुवंश यादव
(vi) श्रीमती भागीरथी देवी
(vii) श्री महबूब आलम
(viii) श्री रत्नेश सादा

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(ix) श्री प्रकाश राय
(x) श्री जीतन राम मांझी
(xi) श्री ललन पासवान

माननीय प्रभारी मंत्री उर्जा विभाग, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सरकार की ओर से वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सदन द्वारा कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत एवं अनुदान की मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगे बारी-बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुई ।

[9] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त) विभाग द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के सभी खण्ड बारी-बारी से इसके अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त) विभाग द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । आसन से घोषणा की गयी कि भाषण के शेष भाग कार्यवाही के अंग बनेंगे । विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[10] <u>अध्यक्ष का समापन भाषण</u> :-

यथा संलग्न ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-08.12.2015

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।